✓ ① (36)

संख्या–1286/1-7-96-404/91-रा०-7

अ० त्रिवेणी तिवारी (हस्ताक्षर)

प्रेषक,

श्री बाबू राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ०प्र०,
अनुभाग–2, लखनऊ ।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
सिटी मजिस्ट्रेट
सुल्तानपुर

राजस्व अनुभाग–7 लखनऊ: दिनांक: 11 जून, 1996

विषय:– वसूली प्रमाण–पत्र जारी करने के पश्चात् उसमें हस्तक्षेप न किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–4723/1-7-91-404/91, दिनांक–16-9-91 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश में यह निर्देश प्रसारित किये गये थे कि वसूली प्रमाण–पत्र जारी करने के बाद सम्बन्धित निगम/संस्था/विभाग द्वारा हस्तक्षेप उचित नहीं है तथा प्रत्येक निगम/संस्था/विभाग से वसूली व्यय समान रूप से लिया जाय तथा इसकी छूट का कोई प्राविधान या अपवाद न किया जाय। संग्रह व्यय वसूली प्रमाण–पत्र की सम्पूर्ण धनराशि पर ही प्रत्येक दशा में देय होगा ।

CRA
18/6/96
ARA(?)

2– समय–समय पर कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद द्वारा लेखा परीक्षा (आडिट) हेतु भेजे गये लेखा परीक्षा दल द्वारा किये गये निरीक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा संस्था/निगम/विभाग द्वारा अनुरोध किये जाने के कारण वसूली प्रमाण–पत्र वापस लौटा दिये गये किन्तु उन वसूली प्रमाण–पत्रों पर देय संग्रह धनराशि की वसूली नहीं की गई जिससे राजस्व क्षति हुई। यह स्थिति आपत्तिजनक है।

अतः अनुरोध है कि एक बार किसी संस्था/निगम/विभाग से वसूली प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के बाद यदि उस संस्था/निगम/विभाग द्वारा देय धनराशि

....2....

ADM (F&R)

4484

CRA/253

सीधे प्राप्त कर वसूली प्रमाण-पत्र वापस मांगा जाता है तब भी संग्रह व्यय देय होगा जिसकी प्राप्ति के बाद ही वसूली प्रमाण-पत्र वापस किया जाय। कृपया इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ताकि शासन को होने वाली राजस्व क्षति से बचा जा सके तथा इस मामले में भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का आडिट प्रस्तर न बनें।

भवदीय,

(बाबू राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1286(1)/1-7-96-404/91-रा0-7 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया वे अपने अधीनस्थ संस्था/निगम/विभागों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत होने के पश्चात वे वसूली की प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करें। यदि उनके द्वारा हस्तक्षेप करके आंशिक वसूली कर ली जाती है अथवा वसूली प्रमाण-पत्र वापस मांगा जाता है तो भी वसूली प्रमाण-पत्र की सम्पूर्ण धनराशि पर देय संग्रह व्यय राजस्व विभाग को देय होगा जिसके अनुसार संग्रह व्यय की वसूली भी सुनिश्चित करते हुए इसे राजस्व विभाग को उपलब्ध करायेंगे अन्यथा वसूली प्रमाण-पत्र वापस मांगे जाने पर राजस्व विभाग द्वारा वापस करना सम्भव नहीं होगा।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

4- कार्यालय महालेखाकार, आडिट-2, उ0प्र0, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(रामसहाय लाल श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।